

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/960-63 दिनांक 28-1-2026

परिपत्र

कौंसिल की जी.बी. की बैठक दिनांक 23.12.2025 के एजेन्डा संख्या 23 के अनुसार आरएनसी में पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों द्वारा राजस्थान के बाहर से अतिरिक्त/उच्च योग्यता अर्जित किये जाने के उपरान्त अतिरिक्त योग्यता का इन्द्राज कराने हेतु कौंसिल को आवेदित किये जाने पर संबंधित कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की एनओसी के आधार पर अर्जित अतिरिक्त योग्यता का इन्द्राज किये जाना है, बशर्ते संबंधित विश्वविद्यालय उस प्रदेश का राजकीय विश्वविद्यालय हो। डीम्ड विश्वविद्यालय होने की स्थिति में विद्यमान प्रक्रिया अनुरूप उस प्रदेश की कौंसिल की एनओसी की भी आवश्यक पूर्ववत होगी।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/960-63 दिनांक 28-1-2026
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर